तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.2024	उभयपक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त पेश राजीनामा में पारित आदेश की पालना में पत्रावली मु. जोधपुर पर पेश हुई। अपीलांट स्वयं एवं अपीलांट अधिवक्ता व उत्तरदाता संख्या 2 के कायम मुकाम 3/1, 1/6 उपस्थित एवं उत्तरदाता 4, 5, 7 से 13 स्वयं उपस्थित एवं उत्तरदाता अधिवक्ता उप.। किशनाराम ने नियुक्त निशान गवाह के रूप में तथा अमलूराम ने उभयपक्ष की पहचान की है। उभयपक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त पेश राजीनामा पर सुना गया। उभयपक्ष ने निवेदन किया कि वादी/अपीलांट स्व. धोकला से प्राप्त होने वाली भूमि को प्राप्त करना नहीं चाहता है तथा न ही धोकला का गोदपुत्र बनने हेतु तैयार है, लेकिन वादी अपीलांट ने जो भूमि भगवाना वल्द धोकला के नाम से क्रय की गई थी, वह भूमि अपनी खातेदारी में नहीं बल्कि भगवाना पुत्र श्री केशाराम के नाम से दर्ज किया जावे। वर्तमान में पक्षकारान के आपसी रजामन्दी के अनुसार धोकला का वादी गोदपुत्र नहीं	भीयाराम

Left margin: नि.अं. भगवाना राम; नि.अं. सोनाराम; जगमालराम; सवाराम; नि.अं. भीखाराम जा. केशाराम; नि.अं. दुदाराम; बाबुलाल; पहचानकर्ता

Right margin: नि.अं. जेठी; नि.अं. (?) श्रीरूपाराम (?); नि.अं. भगवानाराम; गवाह (?); नि.अं. किशनाराम; पहचानकर्ता; अमलूराम; धोकलाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

होने के कारण अपने प्राकृतिक पिता केशाराम की विरासत से प्राप्त भूमि व क्रय की गई भूमि भी प्राप्त करने का अधिकार होने के कारण ग्राम जालीखेड़ा पटवार क्षेत्र फुडाला तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 110 रकबा 20.7442 हेक्टर (128.03 बीघा) में वादी अधिकार का भगवानाराम वल्द धोकलाराम व वल्द केशाराम को भगवानाराम पुत्र श्री केशाराम के नाम से खातेदारी दर्ज की जावे। भगवाना पुत्र श्री केशाराम व भगवाना पुत्र श्री धोकला दोनों एक ही व्यक्ति है, जो भगवाना पुत्र श्री केशाराम ही है धोकला पुत्र चिमना के कोई जायन्दा पुत्र नहीं है धोकला के द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि अपनी पुत्री जेती पत्नी श्री रामा को बेचान कर दी गई है, जिसमें भगवाना पुत्र श्री केशाराम भविष्य में किसी प्रकार का उज्र एतराज स्वं हक हेतु कोई दावा नहीं करेगा। अपीलाधीन आराजी के अलावा अन्य जो धोकला पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खिमा की भूमि ग्राम नई उन्दरी व जाली खेड़ा की भूमि भगवाना पुत्र श्री केशा कोई उज्र एतराज नहीं करेगा। पक्षकारान के मध्य उपरोक्त अनुसार राजीनामा हो गया है इस कारण उक्त प्रकरण को जरिये राजीनामा फैसल करवाना चाहते है। अतः राजीनामा स्वीकार फरमाया जावे। उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिस पर मनन किया गया। राजीनामा तस्दीक किया गया। उभयपक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से हुए राजीनामा को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। राजीनामा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भगवानाराम पुत्र श्री धोकला के स्थान पर भगवानाराम पुत्र श्री केशाराम करते हुए शुद्ध। दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश जेर इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	